मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
ईमेल/Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in
वेबसाइट Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

सं. ए-49/13/03/2022-रा.भा. दिनांक : 23, सितंबर, 2024

परिपत्र

विषय : महानिदेशक की अध्यक्षता में दिनांक 09 सितंबर, 2024 को संपन्न क.रा.बी. निगम मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 187वीं बैठक का कार्यवृत्त।

****

महानिदेशक की अध्यक्षता में दिनांक 09 सितंबर, 2024 को आयोजित विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 187वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि

Signed by Shyam Kumar
Date: 23-09-2024 18:09:51
(श्याम कुमार)
संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

सेवा में,

1. मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य।
2. मुख्यालय के सभी अधिकारी/शाखाएं।
3. संयुक्त निदेशक(राजभाषा), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली-110001
4. बीमा आयुक्त(रा.प्र.अ.)/सभी आंचलिक बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त, आंचलिक कार्यालय/सभी अपर आयुक्त/क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/संयुक्त निदेशक(प्रभारी)/उप निदेशक(प्रभारी), क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/चिकित्सा अधीक्षक/संकायाध्यक्ष,अस्पताल/महाविद्यालय/स्ना.आ.अ. संस्थान(पीजीआईएमएसआर)/निदेशालय(चिकित्सा)दिल्ली/निदेशालय(चिकित्सा)नोएडा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
5. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे निगम मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के निवेदन सहित।

मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 187वीं बैठक का कार्यवृत्त

मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 187वीं बैठक महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 09 सितम्बर, 2024 (सोमवार) को मुख्यालय में आयोजित की गई।

बैठक के प्रारंभ मे बीमा आयुक्त महोदय ने सर्वप्रथम महानिदेशक का स्वागत किया तत्पश्चात महानिदेशक की अनुमति से सदस्य सचिव को बैठक प्रारंभ करने के लिए कहा। सदस्य-सचिव ने महानिदेशक महोदय का स्वागत करने के साथ-साथ वित्त आयुक्त, मुख्य सतर्कता अधिकारी, सभी चिकित्सा आयुक्त, और वहां उपस्थित सभी अधिकारियों का भी अभिवादन किया और बैठक की कार्यवाही आरंभ की।

महानिदेशक महोदय, ने बैठक को शुरू करते हुए बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों से राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर पूछा। इस पर परस्पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा के अंतर पर चर्चा हुई।

महानिदेशक महोदय ने बताया कि राजभाषा के बारे में संसद में बहुत चर्चा भी हुई है। अब तकनीक आ गई है अगर आप किसी दूसरी भाषा में बात करते हैं तो अब मशीन के जरिये अपनी भाषा में सुन सकते हैं। महानिदेशक महोदय ने उदाहरण दिया कि वे मलयालम बोलते हैं और तकनीक के जरिये लोग अपनी भाषा में और हिंदी में सुनते हैं। भाषा का भी अपना अस्तित्व होता है उन्होंने कहा कि वे राजभाषा के समर्थन में रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे अनेक स्थानों पर तैनात रहे हैं और राजभाषा के अलावा दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करना चाहिए। दिनांक 14 सितम्बर 1949 को हिंदी को राजभाषा के लिए मान्यता दी गई। तबसे सरकार ने इसके प्रचार-प्रसार और कार्यान्वयन का काम शुरू किया। सभी कार्मिक एक साथ मिलकर काम करें। उन्होंने बताया कि उन्हें मलयालम, तमिल, कन्नड़, बंग्ला इत्यादि कई भाषाओं का ज्ञान है। राजभाषा कोई मुश्किल नहीं हैं कहीं न कहीं हम सभी को जितनी भाषाएं सीखने का मौका मिलता है सीखनी चाहिए और लोग सीखते हैं।

महानिदेशक महोदय, ने आगे जानना चाहा कि कितना कार्य राजभाषा में हो रहा है। श्री श्याम कुमार, संयुक्त निदेशक राजभाषा ने बताया कि भाषाई आधार पर तीन क्षेत्रों में 'क' 'ख' और 'ग' के अनुसार कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य तय किए जाते हैं।

महानिदेशक महोदय, ने हिंदी बोलने/लिखने के आधार पर देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कौन-कौन से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आते हैं इस संबंध में भी जानकारी मांगी। सदस्य सचिव ने इस संबंध में जानकारी दी।

सदस्य-सचिव ने यह भी बताया कि यह विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 187वीं बैठक है। पूर्व में जून, 2024 में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 186वीं बैठक का आयोजन किया गया था और बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करने से पूर्व की 186वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर चर्चा की गई और जो कार्रवाई राजभाषा शाखा के स्तर पर अपेक्षित थी उस पर की गई कार्रवाई से सभी को अवगत कराया गया। सदस्य-सचिव ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि संसदीय राजभाषा समिति केंद्र के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की स्थिति का राजभाषायी निरीक्षण समय-समय पर करती है और अवगत कराया गया कि संसदीय राजभाषा समिति बहुत गंभीरता से निरीक्षण करती है।

समस्त चर्चा के उपरांत निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करते हुए उसके अनुपालन के लिए अनुरोध किया गया :-

1) हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिए जाएं।
2) 'क' क्षेत्र में 'क' और 'ख' क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है। इसका अनुपालन शत प्रतिशत किया जाए।
3) धारा 3(3) के दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी में ही जारी किए जाएं।
4) जाँच बिन्दुओं पर अपेक्षानुसार कार्रवाई की जाए।
5) अनुवाद की अपेक्षा मूल रूप से कार्य हिंदी में ही किया जाए।
6) प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी अपना समस्त कार्यालयीन कार्य हिंदी में करें।
7) हिंदी टंकण प्रशिक्षण प्राप्त सभी कर्मचारियों से शाखाओं में अनिवार्य रूप से हिंदी टंकण का कार्य कराया जाए।
8) सभी शाखाएं निर्धारित समय से पूर्व राजभाषा शाखा को हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं ताकि उन पर अपेक्षित कार्रवाई समय पर की जा सके।

सदस्य-सचिव ने कहा कि सभी अधिकारी उपर्युक्त बिंदुओं को संज्ञान में लेते हुए इसका अनुपालन करें जिससे वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने इन बिंदुओं पर चर्चा की और महत्वपूर्ण निदेश दिए।

इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बैठक में मदों पर बिन्दुवार चर्चा की गई।

मद संख्या 1	**विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 186वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि तथा बैठक में हुए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा।**

सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि पिछली बैठक दिनांक 28.06.2024 को आयोजित की गई थी। सभी सदस्यों एवं शाखाओं को बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 04.07.2024 को परिचालित कर दिया गया था। बैठक में कार्यवृत्त के आधार पर लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण बैठक प्रारंभ करते समय प्रस्तुत किया जा चुका है। साथ ही आपत्ति/सुझाव के लिए अनुरोध किया गया। किसी भी सदस्य की ओर से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। अतः कार्यवृत्त की पुष्टि के लिए अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या 2	**दिनांक 30.06.2024 को समाप्त अवधि की हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा।**

सदस्य-सचिव ने शाखावार बार चार्ट के माध्यम से आंकड़े प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया कि जिन शाखाओं का पिछली तिमाही की तुलना में पत्राचार प्रतिशत कम रहा वे लक्ष्यानुसार पत्राचार करें।

अध्यक्ष महोदय ने जिन शाखाओं का पत्राचार प्रतिशत लक्ष्य से कम था, विचार-विमर्श करते हुए उन सभी शाखाओं से कारण जानना चाहा। अध्यक्ष महोदय ने सभी शाखाधिकारियों को निदेश दिया कि वे अपने कार्य में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाएं एवं मूल पत्राचार में लक्ष्य प्राप्त करें। सदस्य-सचिव ने कहा कि संसदीय समिति के निरीक्षण के समय महानिदेशक महोदय को उपस्थित होना होता है। अतः राजभाषा से संबंधित

दिशा-निर्देशों का गम्भीरता से पालन किया जाए। सदस्य-सचिव ने कुछ सदस्यों के बैठक में उपस्थित न होने के संबंध में महानिदेशक महोदय को अवगत कराया।

सदस्य-सचिव ने बताया कि जून 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान मुख्यालय द्वारा 'क' क्षेत्र के साथ 99.96% एवं 'ख' क्षेत्र के साथ 99.90% और 'ग' क्षेत्र के साथ 96.94% पत्राचार हिंदी में किया गया। यद्यपि 'ग' क्षेत्र के साथ लक्ष्यानुरूप पत्राचार किया गया तथापि यह नोट किया गया कि 'क' एवं 'ख' क्षेत्र के साथ पत्राचार 100% के निकट है परंतु शत-प्रतिशत नहीं है और अवगत कराया गया कि इसे हर हाल में 100% किया जाना है। जिन शाखाओं का पत्राचार लक्ष्य प्रतिशत कम रहा उनके संबंध में अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिए कि वे मूल पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय ने उन शाखाओं को पत्राचार के लक्ष्य को सुधारने के निदेश दिए। इस संबंध में सदस्य-सचिव ने भी कहा कि आवश्यकता होने पर राजभाषा शाखा की सहायता ली जाए, परंतु मूल पत्राचार हिंदी में ही किया जाए। पत्रों का अनुवाद हिंदी में करवाने की अपेक्षा शाखाएं स्वयं पत्र का मसौदा हिंदी में बनाएं। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी व अधिकारी अपना 100 प्रतिशत कार्य हिंदी में ही करें।

अध्यक्ष महोदय ने 'ग' क्षेत्र की समस्या को देखते हुए यह भी निदेश दिया कि द्विभाषी पत्राचार किया जाना उचित रहेगा। इस पर कार्रवाई की जाए।

मद संख्या 3	**फाइलों पर टिप्पणियां।**

फाइलों पर टिप्पणियां हिंदी में लिखे जाने पर अवगत करवाया गया कि आलोच्य तिमाही के दौरान फाइलों पर कुल 70593 टिप्पणी पृष्ठों में से 65379 टिप्पणी पृष्ठ हिंदी में लिखे गए और टिप्पण 92.61% रहा। सदस्य-सचिव ने बताया कि यद्यपि इस अवधि में हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तथापि आगे हमें इसे और बढ़ाना भी है और इसे बनाए रखने के प्रति विशेष जागरूक रहना है। उन्होंने अवगत कराया कि संपूर्ण कार्य ई-ऑफिस में किया जा रहा है जिसके लिए हिंदी टंकण संबंधी टूल्स की जानकारी आवश्यक हो गई है, अभी कुछ कार्मिक फोनेटिक पद्धति से फाइलों में हिंदी टंकण कर रहे हैं, जिन्हें इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि हम हिंदी वॉयस टाइपिंग के माध्यम से भी ई-ऑफिस में आसानी से हिंदी में कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही टिप्पणी लिखते समय ई-ऑफिस में उसके लिए अनुवाद की सुविधा के संबंध में भी अवगत कराया गया।

अध्यक्ष महोदय ने सभी को निदेश दिया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करें, फाइलों में टिप्पणियां हिंदी में लिखें।

[कार्रवाई—मुख्यालय के संबंधित अधिकारी]

मद संख्या 4	**राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन।**

सदस्य-सचिव ने समिति को बताया कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में सामान्य आदेश, अनुदेश, परिपत्र, ज्ञापन आदि के अलावा अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडर फार्म, नोटिस, संकल्प, नियम, संसद के पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात, प्रशासनिक रिपोर्टें आदि सम्मिलित हैं। धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों की सूची पीपीटी के माध्यम से सदस्यों को दिखाई गई। यह भी अवगत कराया गया कि इस धारा के अंतर्गत सभी दस्तावेजों को हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया जाना अनिवार्य है या तो पंक्ति दर पंक्ति अथवा पृष्ठ पर आगे-पीछे सामग्री द्विभाषी रूप में हो। इस संबंध में सदस्य-सचिव ने बताया कि प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मुख्यालय में आलोच्य तिमाही के दौरान धारा 3(3) के अंतर्गत सभी 282 दस्तावेज द्विभाषी में जारी किए गए। सदस्य-सचिव ने इसे बनाए रखने के लिए सभी अधिकारियों से अनुरोध किया। विशेषकर इस बात पर बल दिया गया कि वेबसाइट पर आदेश एक ही साथ दोनों भाषाओं में जारी किए जाएं।

[कार्रवाई—मुख्यालय की संबंधित शाखाएं]

मद संख्या 5	वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में चर्चा।

सदस्य-सचिव ने अवगत कराया कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए अप्रैल माह से लागू एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2024-25 का वार्षिक कार्यक्रम दिनांक 01 अप्रैल, 2024 को जारी किया जा चुका है। बीमा आयुक्त महोदय के हस्ताक्षर से सभी निगम कार्यालयों के लिए जारी किया गया है। भाषाई आधार पर पत्राचार के लक्ष्य क, ख, ग क्षेत्र के अनुसार वार्षिक कार्यक्रम में ही दिए जाते हैं। इसमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें प्राप्त करना आवश्यक है। वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी से अनुरोध किया गया।

सदस्य-सचिव ने अवगत कराया कि मुख्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित है। वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हमारा मूल पत्राचार का लक्ष्य निम्नानुसार है :-

'क' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र के साथ 100% मूल पत्राचार
'क' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र के साथ 100% मूल पत्राचार
'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र के साथ 65% मूल पत्राचार

अध्यक्ष महोदय ने सभी शाखाओं को निदेशित किया कि वार्षिक कार्यक्रम से संबंधित मदों/लक्ष्यों पर अनुपालन करें।

[कार्रवाई—मुख्यालय की सभी शाखाएं]

मद संख्या 6	निर्धारित जांच-बिंदुओं पर चर्चा।

बैठक में जांच बिंदुओं की सूची प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदर्शित की गई। सदस्य-सचिव ने जांच बिंदुओं को सभी सदस्यों के समक्ष पढ़ा। सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यालयों में जांच बिंदु स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2024-2025 के लिए मुख्यालय में जांच बिंदु अप्रैल 2024 को परिचालित किए गए। जांच बिंदुओं की सूची का बोर्ड अन्य शाखाओं में भी लगाया गया है। सदस्य-सचिव ने सभी सदस्यों से जांच बिंदु के प्रति उत्तरदायी रहकर कार्य करने का आग्रह किया।

अध्यक्ष महोदय ने सभी जांच बिंदुओं का अनुपालन करने के निदेश दिए।

[कार्रवाई—मुख्यालय की सभी शाखाएं]

मद संख्या 7	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन।

सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएं। इस संबंध में उन्होंने राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 के विषय में अवगत कराया। अध्यक्ष महोदय ने सभी अधिकारियों से नियम-5 का अनुपालन गंभीरता से करने का निदेश दिया।

[कार्रवाई— नियम-5 - मुख्यालय की सभी शाखाएं]

मद संख्या 8	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 3 का अनुपालन।

सदस्य-सचिव ने राजभाषा नियम, 1976 के नियम 3 पर चर्चा की। सभी सदस्यों को अवगत कराया गया गया कि 'क' क्षेत्र में 'क' और 'ख' क्षेत्र से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर भी हिंदी में ही दिए जाएं। इस दौरान 'ग' क्षेत्र के संबंध में चर्चा की गई और 'ग' क्षेत्र में पत्र द्विभाषी रूप में भी भेजे जाने पर बल दिया गया। शाखावार

आंकड़े प्रस्तुत करते हुए नियम 3 के अनुपालन के प्रति सजग रहने के लिए अनुरोध किया गया। यह भी अनुरोध किया गया कि 'क' और 'ख' क्षेत्रों के साथ पत्रोत्तर केवल हिंदी में ही किया जाए।

[कार्रवाई– नियम-3 - मुख्यालय की सभी शाखाएं]

मद संख्या 9	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

सदस्य-सचिव ने महानिदेशक महोदय की अनुमति लेकर बताया कि सामान्य शाखा को जेम से हिंदी पुस्तकें खरीदनी हैं परंतु अभी कार्य प्रक्रिया में हैं। उप निदेशक सामान्य शाखा ने जानकारी दी कि जेम से पुस्तकें खरीदने के लिए प्राप्त अनुमति अनुसार जल्दी ही जेम के जरिये पुस्तकें खरीद ली जाएंगी।

सदस्य-सचिव ने बताया कि मुख्यालय की सभी शाखाएं राजभाषा नियम 1976 के नियम 8 (4) के अंतर्गत अपना संपूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट है। महानिदेशक महोदय के निदेश पर सदस्य-सचिव ने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त और कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। तत्पश्चात, सदस्य-सचिव ने ई-ऑफिस में टिप्पण-मसौदा लेखन (नोटिंग ड्रॉफ्टिंग) इत्यादि का अनुवाद करने से संबंधित जानकारी दी।

चिकित्सा आयुक्त ने बताया कि हिंदी में जब काम करते हैं तो अनुवाद करने में काफी दिक्कत आती है और टाइप करने में शब्दों की दिक्कत होती है। कई शब्द पूरे सही टाइप नहीं होते हैं। सदस्य-सचिव ने बताया कि आप यूनीकोड में टाइप करें तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई समस्या आती है तो राजभाषा शाखा को सूचित करें।

महानिदेशक महोदय ने कम्प्यूटर पर वॉइस टाइपिंग करने के संबंध में जानना चाहा जिस पर सदस्य-सचिव ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की। सदस्य-सचिव सभी सदस्यों को बताया कि वॉइस टाइपिंग यूनीकोड में टंकण करते समय वॉयस टाइपिंग की भी सहायता ली जा सकती है। बीमा आयुक्त महोदय ने महानिदेशक महोदय को बताया कि यूनीकोड में टंकण करते समय अलग से कोई फॉन्ट नहीं बदलता है।

महानिदेशक महोदय ने कहा कि बैठक में कई छोटी छोटी तकनीकी का प्रदर्शन किया गया है सभी इसके लाभ उठाएं। इस तकनीक के संबंध में सभी कार्मिकों को भी बताना चाहिए ताकि वो भी इसका लाभ पा सकें। नव-नियुक्त कार्मिकों के पास भी काफी तकनीक होती है उनसे भी समझना चाहिए।

महानिदेशक महोदय ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ को कार्यशाला में आमंत्रित किया जाना चाहिए। जिससे बहुत आसानी से कार्य किया जा सके। नई तकनीकें निरंतर आ रही हैं हमें वो सीखनी चाहिए और उसका अभ्यास होना चाहिए। सदस्य-सचिव ने बताया कि वर्ष 2016-2017 के पश्चात पहली बार हिंदी दिवस की राशि में बढ़ोतरी की गई है जिसके लिए उन्होंने बीमा आयुक्त महोदय और वित्त आयुक्त महोदया का आभार व्यक्त किया।

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के मुख्य बिंदु :-

- अवगत कराया गया कि इस बार हिंदी दिवस समारोह, 2024 एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन 14, 15-9-2024 को भारत मंडपम् नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें पूरे देशभर से प्रतिभागी शामिल होगें। इसके अतिरिक्त हमारे कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा और दिवस समारोह मनाया जाएगा। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और इमसें बड़ी संख्या में कार्मिक भाग लेते हैं और विजेताओं को पुरस्कार

पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अतः सभी सदस्यों से अनुरोध किया गया कि अपनी शाखाओं के अधिकाधिक कार्मिकों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

- डॉ. (श्रीमती) दीपिका गोविल, चिकित्सा आयुक्त ने कहा कि कार्यालय में दैनिक उपयोग होने वाले शब्दों/वाक्यों की सूची कम्प्यूटर पर अपलोड कर दी जाए।
- सदस्य-सचिव ने बताया कि राजभाषा शाखा को सभी शाखाओं से अनुवाद हेतु दस्तावेज प्राप्त होते हैं।
- राजभाषा शाखा द्वारा प्रत्येक तिमाही में कार्मिकों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है।
- डॉ मधु गुप्ता उप चिकित्सा आयुक्त ने चर्चा के दौरान बताया कि कई बार दूसरे राज्यों से पत्र उनकी स्थानीय भाषा में आते हैं। महानिदेशक महोदय ने कहा सभी भाषाओं पर ध्यान देना चाहिए अगर स्थानीय भाषा से कोई पत्र आता है तो उसका उत्तर द्विभाषी रूप में देना चाहिए। बीमा आयुक्त महोदय ने बताया कि ऐसे पत्र वहां के क्षेत्रीय कार्यालय में भेज अनुवाद करवा लिया जाता है।

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 187वीं बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए निदेश, लिए निर्णय तथा अपेक्षित कार्रवाइयां :

1.	धारा 3(3) के दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी में ही जारी किए जाएं।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम के सभी कार्यालय**
2.	हिंदी टंकण प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों से हिंदी टंकण की सेवाएं ली जाएं।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम के सभी कार्यालय**
3.	हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएं।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम के सभी कार्यालय**
4.	मूल पत्राचार हिंदी में किया जाए तथा लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम के सभी कार्यालय**
5.	प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी समस्त कार्यालयीन कार्य हिंदी में करें।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम के सभी कार्यालय**
6.	अनुवाद की अपेक्षा मूल रूप से हिंदी में ही कार्य किया जाए।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम के सभी कार्यालय**
7	सभी शाखाएं निर्धारित समय तक या उससे पूर्व राजभाषा शाखा में हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं**
8	'ग' क्षेत्र में पत्राचार द्विभाषी रूप में करने में 'ग' क्षेत्र के राज्यों को आसानी रहेगी।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं**
9.	'क' क्षेत्र में 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर भी हिंदी में ही दिए जाएं।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं**
10	विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें।	**कार्रवाई–** **विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य**
11.	सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ को कार्यशाला में आमंत्रित करना ।	**कार्रवाई–** **राजभाषा शाखा**
12	वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी पुस्तकों की खरीद	**कार्रवाई–** **पुस्तकाध्यक्ष/सामान्य शाखा**

अंत में महानिदेशक महोदय, ने सभी सदस्यों से कहा कि वे राजभाषा कार्यान्वयन में मूल पत्राचार लक्ष्य प्राप्ति के लिए भरसक प्रयास करें। नियम-5, नियम-3, का अनुपालन सुनिश्चित करें। फाइलों पर टिप्पणियां हिंदी में लिखें और समस्त राजभाषा कार्यान्वयन इस प्रकार सुनिश्चित करें जिससे लक्ष्य प्राप्ति भी हो और संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के समय कोई अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न न हो।

अंत में महानिदेशक महोदय का आभार तथा सभी का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त की गई।

(श्याम कुमार)
सदस्य-सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 187वीं बैठक में उपस्थित अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की सूची।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पदनाम	
1.	अशोक कुमार सिंह	महानिदेशक	अध्यक्ष
2.	टि.एल यादेन	वित्त आयुक्त	सदस्य
3.	मनीष कुमार अग्रवाल	मुख्य सतर्कता अधिकारी	सदस्य
4.	रत्नेश कुमार गौतम	बीमा आयुक्त	सदस्य
5.	डॉ. कमलेश हरीश	चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
6.	डॉ. दीपिका गोविल	चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
7.	डॉ. सी.सी.खाखा	चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
8.	डॉ. आशित मलिक	चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
9.	डॉ. अनीता करनवाल	उप चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
10.	डॉ.पवन कुमार	उप चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
11.	डॉ. नीता गर्न्याल	उप चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
12.	डॉ मधु गुप्ता	उप चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
13.	डॉ. मनोज कुमार	विशेष कार्यअधिकारी	सदस्य
14.	रवि प्रकाश	अपर आयुक्त	सदस्य
15.	एम. जॉर्ज	संयुक्त निदेशक	सदस्य
16.	गिरिश कुमार केन	उप निदेशक	सदस्य
17.	जानकी सिंह	उप निदेशक	सदस्य
18.	गोरोंग भटनागर	उप निदेशक	सदस्य
19.	श्रेयस सिंह	उप निदेशक	सदस्य
20.	सुबोध कुमार सरावगी	उप निदेशक	सदस्य
21.	आशीष शंकर	उप निदेशक	सदस्य
22.	जयप्रकाश शर्मा	उप निदेशक	सदस्य
23.	ताराचन्द शर्मा	उप निदेशक	सदस्य
24.	काशी प्रसाद पाण्डेय	उप निदेशक	सदस्य
25.	सोनल गुलाटी	उप निदेशक	सदस्य
26.	दिनेश	उप निदेशक	सदस्य
27.	ज्योति राम	सहायक निदेशक	सदस्य
28.	सुशील कुमार	सहायक निदेशक	सदस्य
29.	ओम प्रकाश ठाकुर	सहायक निदेशक	सदस्य
30.	भैरव सत्यवली	सहायक निदेशक	सदस्य
31.	श्याम कुमार	संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	सदस्य-सचिव

उपर्युक्त के अलावा राजभाषा शाखा के कार्मिक/अधिकारी भी बैठक में सहायतार्थ उपस्थित थे।